निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–सुश्री अंजु शर्मा , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 94/2019(वाद) निर्णय दिनांक 29.10.2020

उनवान

भेरू लाल पिता गमेरा जाती भील उम्र वयस्क, पेशा काश्त निवासी बुधपुरा, तहसील भदेसर, जिला भदेसर.

..............वादी

।। बनाम ।।

1. उदा पिता काना जी भील उम्र वयस्क, निवासी बुधपुरा, तहसील भदेसर।
2. वरदा पिता काना जी भील उम्र वयस्क, निवासी बुधपुरा, तहसील भदेसर।
3. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भदेसर तहसील भदेसर

————————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209

राजस्थान काशतकारी अधिनियम

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 209 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादी के कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात वाके ग्राम बुधपुरा प0ह0 नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ में खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्बर 310 रकबा 0.3800 हैक्ट0, आराजी नम्बर 315 रकबा 0.0400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 316 रकबा 0.0400, आराजी नम्बर 317 रकबा 0.1400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 318 रकबा 0.1300 हैक्ट0, आराजी नम्बर 319 रकबा 0.2400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 320 रकबा 0.2500 हैक्ट0, आराजी नम्बर 321 रकबा 0.2500 हैक्ट0, आराजी नम्बर 322 रकबा 0.1000 हैक्ट0, आराजी नम्बर 323 रकबा 0.1800 कुल कीता 10 कुल रकबा 1.7500 हैक्टेयर स्थित है जो साक्ष्य में नकल जमाबंदी साम्वत 2073 से 2076 एवं मिलान खसरा, फोटो प्रति रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र संलग्न हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

2. यह कि वादी ने खातेदार श्री उदा,वरदा पिता काना जी भील निवासी बुधपुरा से साबिक आराजी नं0 206 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नं0 207 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नं0 208 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2001 को बिल एवज 10000 रू0 में 15 बिस्वा भूमि कय की।कय दिनांक से ही वादी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वर्तमान में भी काबिज होकर बहैसियत मालिक उपयोग उपभोग कर रहा है।

3. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परंतु वादी के अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश को होने के कारण वह उक्त आराजीयात का नामांतरण अपने नाम नहीं खुला सका ओर खातेदार द्वारा विक्रय की गई आराजीयात आज भी राजस्व रेकार्ड में खातेदार उदा,वरदा पिता काना के नाम हिस्सा 3/163 दर्ज चला आ रहा हे। उदा,वरदा पिता काना के मन में अब बदनियति आ जाने से एवं जमीनो के भावों में भारी बढोतरी हो जाने के कारण अब ये लोग वादी को उसके द्वारा खरीद की गई आराजीयात से बेदखल कर आराजीयात अन्य को रहन बय बक्शीश करने पर आमादा हो रहे हे। इस कारण वादी को विकेतागण से खरीद की गई 15 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। इसलिए उक्त खातेदारी घोषणा का वाद पत्र आवश्यक होने से पेश हैं।

4. यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वंय करे व अन्य किसी से करवावे वादी को शांतिपूर्वक रूप से काश्त करने देवे इस हेतु पाबंद फरमावे।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 27.05.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को अपने हिस्से से बेदखल करने से पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे तथा निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित ग्राम बुधपुरा प0ह0 नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्बर 310 रकबा 0.3800 हैक्ट0, आराजी नम्बर 315 रकबा 0.0400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 316 रकबा 0.0400, आराजी नम्बर 317 रकबा 0.1400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 318 रकबा 0.1300 हैक्ट0, आराजी नम्बर 319 रकबा 0.2400 हैक्ट0, आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नम्बर 320 रकबा 0.2500 हैक्ट0, आराजी नम्बर 321 रकबा 0.2500 हैक्ट0, आराजी नम्बर 322 रकबा 0.1000 हैक्ट0, आराजी नम्बर 323 रकबा 0.1800 कुल कीता 10 कुल रकबा 1.7500 हैक्टे भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादी को विक्रय की गई 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण को नाम विलोपित किया जाकर वादी को उक्त आराजीयात खातेदार घोषित फरमाया जावे।

(ब) कि पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे एवं न किसी अन्य से करावे वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

(स) कि खर्चा मुकदमा वकील मेहनताना पक्ष वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य कोई सहायता जो न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर वाद पत्र के समर्थन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :-

1. नकल जमाबन्दी मौजा बुधपुरा खाता संख्या 8 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-1
2. पंजिकृत दस्तावेज/बहनामा दिनांक 14.12.2001तादादी रूप्ये 10000/- प्रदर्श-2
3. गवाह शपथ पत्र भेरू लाल पिता गमेरा निवासी बुधपुरा।
4. मिलान क्षेत्रफल

बहस सुनी गयी । लायक अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते कथन किया गया कि वादी द्वारा पंजिकृत दस्[illegible] माध्यम से विवादित आराजीयात कय की गई है किन्तु उसका इन्तकाल वादी के पक्ष में [illegible] है तथा मौके पर कब्जा वादी का ही है कालान्तर में भू प्रबन्ध हो जाने से आराजी [illegible]र 206,207,208 के नये आराजी नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौडगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है जिसमें क्रय भू भाग पर वादी काबिज है जो उनके खातेदारी की घोषित फरमाई जावे ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । पंजिकृत बहनामा , जमाबन्दी एवं बयान गवाहों के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा क्रय की जाना साबित कराया है जिसका उनके नाम राजस्व रिकार्ड में नाम कायम नहीं किया गया है तथा वर्तमान में विक्रेता के नाम ही खातेदारी में दर्ज होने व भू प्रबन्ध से नवीन नम्बरान् कायम होने से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति उत्पन्न होकर वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि पंजिकृत दस्तावेज दिांक 14.12.2001 तादादी रूप्ये 10000/– रूप्ये से वादी द्वारा खातेदार उदा,वरदा पिता काना भील निवासी बुधपुरा से क्रय की गई मौजा बुधपुरा की साबिक आराजी नम्बर 206 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नं0 207 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा,आराजी नं0 208 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बिस्वा भूमि क्रय की जिसके नवीन आराजी नं0 310 रकबा 0.3800 हैक्ट0, आराजी नम्बर 315 रकबा 0.0400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 316 रकबा 0.0400, आराजी नम्बर 317 रकबा 0. 1400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 318 रकबा 0.1300 हैक्ट0, आराजी नम्बर 319 रकबा 0.2400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 320 रकबा 0.2500 हैक्ट0, आराजी नम्बर 321 रकबा 0.2500 हैक्ट0, आराजी नम्बर 322 रकबा 0.1000 हैक्ट0, आराजी नम्बर 323 रकबा 0.1800 कुल कीता 10 कुल रकबा 1.7500 हैक्टे में से 15 बिस्वा भूमि वादी के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है शेष भूमि प्रतिवादीगण के यथावत रहेगी तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के उक्तानुसार खातेदारी में दर्ज होने वाहे हक हिस्से को दिगर तरीके से हस्तान्तरण ,रहन बय बख्शीस नहीं करें न करावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया [illegible] सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

भेरू लाल पिता गमेरा जाती भील उम्र वयस्क, पेशा काश्त निवासी बुधपुरा, तहसील भदेसर, जिला भदेसर.

..............वादी

।। बनाम ।।

1. उदा पिता काना जी भील उम्र वयस्क, निवासी बुधपुरा, तहसील भदेसर।
2. वरदा पिता काना जी भील उम्र वयस्क, निवासी बुधपुरा, तहसील भदेसर।
3. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भदेसर तहसील भदेसर

—————————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आरटीए
प्रकरण सं0 56/2013

वादी की ओर से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादी की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 29.10.2020 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि पंजिकृत दस्तावेज दिांक 14.12.2001 तादादी रूपये 10000/– रूपये से वादी द्वारा खातेदार उदा,वरदा पिता काना भील निवासी बुधपुरा से क्रय की गई मौजा बुधपुरा की साविक आराजी नम्बर 206 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नं0 207 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा,आराजी नं0 208 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बिस्वा भूमि क्रय की जिसके नवीन आराजी नं0 310 रकबा 0.3800 हैक्ट0, आराजी नम्बर 315 रकवा 0.0400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 316 रकबा 0.0400, आराजी नम्बर 317 रकबा 0.1400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 318 रकबा 0. 1300 हैक्ट0, आराजी नम्बर 319 रकबा 0.2400 हैक्ट0, आराजी नम्बर 320 रकबा 0.2500 हैक्ट0, आराजी नम्बर 321 रकवा 0.2500 हैक्ट0, आराजी नम्बर 322 रकबा 0.1000 हैक्ट0, आराजी नम्बर 323 रकबा 0.1800 कुल कीता 10 कुल रकवा 1.7500 हैक्टे में से 15 बिस्वा भूमि वादी के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है शेष भूमि प्रतिवादीगण के यथावत रहेगी तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादी के उक्तानुसार खातेदारी में दर्ज होने वाहे हक हिस्से को दिगर तरीके से हस्तान्तरण ,रहन वय वख्शीस नहीं करें न करावें। । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें । यह आज दिनांक 29–10–2020 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भदेसर
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner